Session Trial No.– 120 of 2022

CNR No.UPSN01–000806–2022

&

Session Trial No.– 154 of 2022

CNR No.UPSN01–001007–2022

IN THE COURT OF SESSIONS JUDGE, BHADOHI.

Present : Shri Akhilesh Dubey

H.J.S., J.O. Code No.– 5725

[Date of judgment–17.07.2026]

[Case Crime no. 209/2021]

[Police Station–Bhadohi, District–Bhadohi]

Complainant	Nijamuddin
Represented by	Shri Dinesh Pandey (DGC. Crl.)
Accused–persons in Session Trial No.– 120/2022	1. Vakeel Ahmad a/a 60 years s/o Late Habib Ulla, 2. Farukkh Ahmad a/a 36 years s/o Vakeel Ahmad, 3. Manna alias Momina a/a 55 years w/o Vakeel Ahmad, All r/o Rampur Sarroi, P.S. Bhadohi, District–Bhadohi.
Accused–persons in Session Trial No.– 154/2022	1.Shahadat Ali a/a 26 years s/o Vakeel Ahmad, 2. Saif Ali a/a 23 years s/o Vakeel Ahmad All r/o Rampur Sarroi, P.S. Bhadohi, District–Bhadohi.
Represented by	Advocate Shri Dinesh Chand Singh

Date of Offence	05.09.2021
Date of FIR	07.09.2021
Date of Chargesheet, Accused–persons– Vakeel Ahmad, Farukkh Ahmad, Manna alias Momina	01.11.2021
Date of Chargesheet, Accused–persons– Shahadat Ali & Saif Ali	18.04.2022
Date of framing of Charges (In S.T. No. 120/2022) Accused persons– Vakeel Ahmad, Farukkh Ahmad, Manna alias Momina	18.05.2021
Date of framing of Charges (In S.T. No.– 154/2022) Accused–persons– Shahadat Ali & Saif Ali	20.06.2022
Date of commencement of evidence	31.10.2022
Date on which judgment is reserved	03.07.2026

Date of the judgment	17.07.2026
Date of the Sentencing Order, if any	N/A

Rank of the Accused	Name of the Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428, Cr.P.C.
1. 2. 3. 4. 5.	Vakeel Ahmad Farukkh Ahmad Manna @Momina Shahadat Ali Saif Ali	07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 16.04.2022 16.04.2022	14.03.2022 03.12.2022 14.03.2022 21.07.2022 21.07.2022	Sec-498A, 306 IPC & 3/ 4 D.P. Act	Acquitted	NA	**Vakeel Ahmad** from date 07.09.2021 to 14.03.2022 total= 6 months & 71 days, **Farukkh Ahmad** from date 07.09.2021 to 03.12.2022 total= 1year, 2 months & 26 days **Manna @Momina** from date 07.09.2021 to 14.03.2022 total= 6months & 7 days **Shahadat Ali** from date 16.04.2022 to 21.07.2022 total= 3months &5 days **Saif Ali** from date 16.04.2022 to 21.07.2022 total= 3months & 5 days

<u>Chart of Exhibited Documents</u>

<u>Exhibited No.</u>	<u>Description of the Exhibit</u>	<u>Proved by/Attested by</u>
1. ka-1	Written-Tahreer	P.W.-1

2. ka–2	Post–mortem report	P.W.–4
3. ka–3	Chik–FIR	P.W.–5
4. ka–4	Kayami–G.D.	P.W.–5
5. ka–5	Panchayat–Nama	P.W.–6
6. ka–6	Letter to C.M.O.	P.W.–6
7. ka–7	Photo–nash	P.W.–6
8. ka–8	Police Form 13	P.W.–6
9. ka–9	Police Form–33	P.W.–6
10. ka–10	Letter to Inspector P.S. Shivpur, Varansi	P.W.–6
11. ka–11	Site–plan	P.W.–7
12. ka– 12	Charge–sheet No. 218/2021	P.W.–7
13. ka–13	Charge–sheet No. 218A/2021	Genuineness Admitted by Defence.

निर्णय

1. पुलिस थाना भदोही द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–209 सन 2021 अन्तर्गत धारा–498 ए, 306 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी० पी० एक्ट में अभियुक्तगण वकील अहमद, फारूख अहमद एवं अभियुक्ता मन्ना उर्फ मोमिना के विरूद्ध प्रेषित आरोपपत्र संख्या 218/2021 व अभियुक्तगण शहादत अली एवं शैफ अली के विरूद्ध प्रेषित आरोपपत्र संख्या 218A/2021 के आधार पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही–ज्ञानपुर द्वारा क्रमशः दिनांक–19.04.2022 व 24.05.2022 को की गयी सत्र सुपुर्दगी के आधार पर विचारण किया गया है।

2. सत्र परीक्षण संख्या 120 सन् 2022 व सत्र परीक्षण संख्या 154 सन् 2022, एक ही तथ्य एवं घटना से संबंधित होने के कारण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.(प्रथम), भदोही के आदेश दिनांकित 21.07.2022 द्वारा समेकित करते हुए सत्र परीक्षण संख्या 120 सन् 2022 राज्य बनाम वकील अहमद एवं दो अन्य की पत्रावली अग्रणी पत्रावली निर्धारित किये जाने के पश्चात् उक्त अग्रणी पत्रावली में ही अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य अभिलिखित किये गये हैं एवं मामले से संबंधित संपूर्ण अभियोजन प्रपत्र भी इसी पत्रावली पर संकलित हैं। अतः सुविधा की दृष्टि से दोनों सत्र परीक्षण वादों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

3. संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियोगी निजामुद्दीन पुत्र मोहर अली उर्फ अबास अली निवासी बंजारी कला, थाना हलीया जनपद मिर्जापुर ने थाना

प्रभारी भदोही को सम्बोधित लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 इस आशय की प्रस्तुत किया कि–उसने अपनी बहन नाजमा बेगम उम्र करीब 29 वर्ष की शादी वर्ष 2009 में फारुक अहमद पुत्र वकील अहमद निवासी रामपुर सर्रोई, थाना भदोही के साथ किया था। उसका बहनोई फारुक अहमद बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा काट कर बाम्बे से करीब एक हफ्ता पहले आकर उसकी बहन को अपने घर ले आया था। उसकी बहन को वकील अहमद पुत्र अज्ञात (ससुर), फारुक अहमद पुत्र वकील (पति), मन्ना उर्फ मोमिना पत्नी वकील अहमद (सास) व शहादत तथा सैफ पुत्रगण वकील अहमद निवासी रामपुर सर्रोई दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दिनांक 05.09.2021 को समय 04.00 बजे शाम प्रताड़ना से वह आग लगाकर जल गई। उसे इलाज हेतु अनन्त हास्पिटल रोहनिया भर्ती कराया गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। फारुक की पहली पत्नी भी आग लगाकर मर गई थी। उक्त लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 07.09.2021 को समय 11.37 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3 अभियुक्तगण वकील अहमद मृतका के ससुर, फारुक अहमद, मन्ना उर्फ मोमिना सास, शहादत व शैफ के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–498 ए, 306 भारतीय दण्ड संहिता व 3/ 4 डी० पी० एक्ट में अंकित की गयी, जिसका इंद्राज दिनांक 07.09.2021 को समय 11.37 बजे कायमी जी०डी० संख्या 36 पर किया गया, उक्त की प्रति प्रदर्श क–4 है।

4. विवेचनाधिकारी/उप निरीक्षक प्रमोद सिंह यादव द्वारा विवेचना ग्रहण करने के पश्चात विवेचना के क्रम में बयान वादी मुकदमा, बयान पिता मृतका एवं माता मोमिना बेगम अंकित करने के पश्चात वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया तथा अवलोकन पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचना की अग्रिम कार्यवाही के क्रम में अभियुक्तगण वकील अहमद, फारुक अहमद एवं मन्ना उर्फ मोमिना के विरुद्ध संकलित साक्ष्य के आधार पर अन्तर्गत धारा –498 ए, 306 भारतीय दण्ड संहिता व 3/ 4 डी० पी० एक्ट का अपराध पाते हुए आरोप पत्र संख्या 218/2021 दिनांक 01.11.2021 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही के न्यायालय में प्रेषित किया गया एवं शेष अभियुक्तगण के विरुद्ध विवेचना संचालित रही। पश्चातवर्ती विवेचक के रूप विवेचनाधिकारी श्री प्रकाश मिश्रा ने विवेचना ग्रहण कर अभियुक्तगण शहादत एवं शैफ के विरुद्ध संकलित साक्ष्य के आधार पर अन्तर्गत धारा–498 ए, 306 भारतीय दण्ड संहिता व 3/ 4 डी० पी० एक्ट का अपराध पाते हुए आरोप पत्र संख्या 218A/2021 दिनांक– 18.04.2022 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही के न्यायालय में प्रेषित किया गया

5. अभियुक्तगण वकील अहमद, फारुख अहमद व मन्ना उर्फ मोमिना के विरूद्ध धारा–498A, 306 भारतीय दण्ड संहिता व 3/ 4 डी० पी० एक्ट के अधीन

आरोप–पत्र सं० 218/2021 न्यायालय में प्राप्त होने पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 02.12.2021 को व अभियुक्तगण शहादत एवं सैफ के विरूद्ध धारा–498A, 306 भारतीय दण्ड संहिता व 3/ 4 डी० पी० एक्ट के अधीन आरोप–पत्र सं० 218A/2021 न्यायालय में प्राप्त होने पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 23.05.2022 को प्रसंज्ञान लिया गया और अभियोजन प्रपत्रों की नकलें अभियुक्तगण को धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदान की गयी तथा अभियुक्तगण का प्रकरण सत्र परीक्षणीय होने के कारण धारा 209 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन मामला सत्र न्यायालय को क्रमशः दिनांक–19.04.2022 एवं 24.05.2022 को सुपुर्द किया गया, जिसके अनुसार क्रमशः सत्र परीक्षण संख्या 120/2022 सरकार बनाम वकील अहमद आदि दिनांक 30.04.2022 व सत्र परीक्षण संख्या 154/2022 सरकार बनाम शहादत आदि करके पंजीकृत हुए।

6. सत्र परीक्षण विचारण हेतु प्राप्त होने के पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त आरोप विरचन के बिंदु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा सुनने के पश्चात धारा–228 दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्राविधान के अंतर्गत दिनांक 18.05.2021 को अभियुक्तगण वकील अहमद, फारुक अहमद एवं मन्ना उर्फ मोमिना एवं दिनांक 20.06.2022 को अभियुक्तगण शहादत एवं सैफ के विरूद्ध धारा–498 ए, 306 भारतीय दण्ड संहिता व धारा– 3/ 4 डी० पी० एक्ट का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और परीक्षण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्षी के रूप में वादी मुकदमा साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 निजामुद्दीन, साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 मोहर अली उर्फ अब्बास अली, साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 मोमिना पत्नी मोहर अली उर्फ अब्बास अली, साक्षी पी० डब्लू०–4 डा० राम आशीष राम, साक्षी पी० डब्लू०–5 कां० कैलाश सिंह चौहान, साक्षी पी० डब्लू०–6 उपनिरीक्षक रविकांत मलिक, साक्षी पी० डब्लू०–7 विवेचक उ०नि० प्रमोद सिंह यादव को परीक्षित कराया गया है। बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्तगण शहादत व सैफ के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र की औपचारिक प्रमाणिकता स्वीकार की गयी, तदोपरांत अभियोजन द्वारा साक्ष्य समाप्त किया गया।

8. अभियोजन साक्षियों के बयान के आधार पर अभियोजन प्रपत्रों में, लिखित तहरीर पर प्रदर्श क–1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर प्रदर्श क–2, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श क–3, कायमी जी. डी. पर प्रदर्श क–4, पंचायतनामा पर प्रदर्श क–5, पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी पर प्रदर्श क–6, फोटोनाश पर प्रदर्श क–7, पुलिस फार्म सं० 13 पर प्रदर्श क–8, पुलिस प्रपत्र संख्या 33 पर प्रदर्श क–9, पत्र प्रभारी निरीक्षक थाना शिवपुर

वाराणसी पर प्रदर्श क–10, नक्शा–नजरी घटनास्थल पर प्रदर्श क–11, आरोप–पत्र संख्या 218/2021 पर प्रदर्श क–12 तथा औपचारिक प्रमाणिकता अभियुक्त पक्ष द्वारा स्वीकार करने के आधार पर आरोप पत्र संख्या 218A/2021 पर प्रदर्श क–13 डाला गया।

9. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए रंजिशन झूंठा मुकदमा चलाया जाना कहा गया है। अतिरिक्त कथन में उनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने कोई घटना नहीं कारित किया है, उन्हें झूंठा फंसाया गया है और वे निर्दोष हैं।

10. मैंने विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन एवं सम्यक अवलोकन किया।

11. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप है कि अभियोगी निजामुद्दीन की बहन नाजमा बेगम की शादी अभियुक्त फारुक अहमद के साथ वर्ष 2009 में सम्पन्न होने के बाद से ही वहद स्थान रामपुर सर्रोई थाना भदोही, जिला भदोही में अभियुक्तगण नाजमा बेगम के ससुराली परिजन होने के नाते अतिरिक्त दहेज की अवैध मांग को लेकर नाजमा बेगम को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करते हुए उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करते थे। परिणामस्वरूप दिनांक 05.09.2021 को समय 04.00 बजे दिन वहद स्थान रामपुर सर्रोई थाना भदोही, जिला भदोही में नाजमा बेगम आग लगाकर (दाह क्षति कारित कर) आत्महत्या कर ली।

12. **धारा 498 ए** भारतीय दण्ड संहिता में यह प्राविधान है कि जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता में यह प्राविधान है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में यह प्राविधान है कि यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्षता या परोक्षता वर या वधू के माता पिता या अन्य रिश्तेदारों या पालक से दहेज मांगता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी, किन्तु दो वर्षों तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रूपयों तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

13. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण वकील

अहमद, फारुक अहमद, मन्ना उर्फ मोमिना, शहादत एवं सैफ के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा– 498ए, 306 भारतीय दण्ड संहिता व धारा– 3/ 4 डी० पी० एक्ट युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है ?

14. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी निजामुद्दीन की बहन नाजमा बेगम की शादी अभियुक्त फारूख अहमद के साथ संपन्न होने के पश्चात से अभियुक्तगण वकील अहमद, फारुक अहमद, मन्ना उर्फ मोमिना, शहादत एवं सैफ अवैध रूप से अतिरिक्त दहेज की मॉग को लेकर नाजमा बेगम को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करते थे। फलस्वरूप नाजमा बेगम ने दिनांक–05.09.2021 को समय 4.00 बजे दिन में बहद स्थान रामपुर सर्रोई, थाना भदोही, जिला भदोही में आग लगाकर जल कर आत्महत्या कर लिया। उक्त आरोप के सन्दर्भ में, साक्षी पी०डब्लू० 1 निजामुद्दीन, साक्षी पी०डब्लू० 2 मोहर अली उर्फ अब्बास अली, साक्षी पी०डब्लू० 3 मोमीना पत्नी मोहर अली उर्फ अब्बास अली ने मृतका द्वारा आत्महत्या करने की साक्ष्य दिया है। साक्षी पी०डब्लू० 4 डाक्टर राम आशीष ने मृतका नाजमा बेगम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया है तथा साक्षी पी0 डब्लू0 5 कां० कैलाश सिंह चौहान ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी०डी०को साबित किया है। साक्षी पी०डब्लू० 6 उ० निरीक्षक रविकांत मलिक ने पंचायतनामा की कार्यवाही संपादित कराने के पश्चात् पोस्टमार्टम हेतु संबंधित प्रपत्रों को तैयार कराया जाना साबित किया है तथा साक्षी पी०डब्लू० 7 उपनिरीक्षक प्रमोद सिंह यादव ने विवेचना की कार्यवाही किया जाना व नक्शा नजरी बनाया जाना तथा विवेचनोंपरांत आरोपपत्र प्रेषित किया जाना साबित किया है। कहा गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप साबित है। उन्हें दोषसिद्ध किया जाये।

15. इसके विपरीत बचाव पक्ष/अभियुक्तगण की तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से अतिरिक्त दहेज मॉगने की साक्ष्य नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि तथ्य के गवाहों ने बयान में यह स्वीकार किया है कि मृतका नाजमा बेगम व अभियुक्त फारूख अहमद की शादी खुशीपूर्वक हुई थी और उनसे एक लड़का भी पैदा हुआ था। नाजमा बेगम के मृत्यु की सूचना उसके ससुराल वालों ने दिया था। नाजमा बेगम के जलने पर दवा–इलाज उसकी ससुराल वालों ने कराया था। कहा गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप साबित नही है, उन्हें दोषमुक्त किया जाए।

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०– 1 निजामुद्दीन ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि उसकी बहन का नाम नाजमा बेगम है, जिसका विवाह फारूख अहमद से सन् 2009 में किया था। उसकी बहन के साथ घटना 2021 में

हुई थी। घटना के संबंध में पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं किया था। साक्षी को पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 5अ तहरीर दिखाया गया, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

17. साक्षी पी०डब्लू०– 1 ने अपने जिरह में कथन किया है कि उसने सूचना किसी से लिखायी थी, उसने स्वयं नहीं लिखा था। तहरीर पढ़कर सुनाया नहीं था। उसकी बहन नजमा मानसिक रूप से कमजोर थी। उसकी बहन की शादी फारुख के साथ 2009 में हुई थी। उसकी बहन को शादी के एक साल बाद लड़का पैदा हुआ था जो सात–आठ साल का है, जो आज भी फारूख अहमद के साथ रहता है। वकील अहमद, फारुख अहमद, मन्ना उर्फ मोमीना, शहादत व सैफ कभी भी उसकी बहन से दहेज की मांग नहीं किये और न दहेज की मांग को लेकर कभी प्रताड़ित किये और न ही मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाये थे। उसने लोगों के बताने के आधार पर व अस्पताल में बहन को जला हुआ देखकर दिनांक 07.02.2021 को थाने पर सूचना दिया था। घटना कैसे घटी, किसने कारित की, इस बात की जानकारी नहीं है। साक्षी को 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि ऐसा कोई बयान उसने नहीं दिया है, दरोगा जी कैसे लिख लिये, वह नहीं बता सकता। उसकी बहन के द्वारा अभियुक्तगण के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गयी थी।

18. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–2 मोहर अली उर्फ अब्बास अली ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि नजमा बेगम उसकी लड़की थी, जिसकी शादी उसने सन् 2009 में फारुख अहमद के साथ किया था। उसकी लड़की की मृत्यु जलने से हुई थी। मृत्यु की सूचना उसे लड़की के परिवार वालों ने दिया था। सूचना पाकर अगले दिन वह मन्नत हास्पिटल रोहनिया गया था, जहां उसकी लड़की की मृत्यु हो चुकी थी। दामाद और उसकी बेटी से एक आठ–नौ साल का बेटा है। उसकी लड़की की मृत्यु की सूचना थाने पर उसका लड़का दिया था। उसे नहीं मालूम उसके लड़के ने थाने पर क्या सूचना दिया था। घटना के संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ किया था।

19. साक्षी पी०डब्लू०–2 ने अपने जिरह में कथन किया है कि फारूख अहमद व उनके परिवारीजनों से साक्षी व उसके परिवार वालों से अच्छे तालुकात थे। फारूख अहमद, मोमीना, वकील अहमद, सैफ, शहादत ने कोई दहेज की मांग नहीं किया था, न ही उक्त मांग के लिये प्रताड़ित किया था, न जान देने के लिये उकसाया और न ही उसे जलाया उसकी लड़की समय से पूर्व पैदा हुई थी, जिस कारण वह थोड़ा कम दिमाग की थी।

20. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–3 मोमीना पत्नी मोहर अली उर्फ अब्बास ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि नाजमा बेगम उसकी लड़की थी, जिसकी शादी उसने सन् 2009 में फारुख अहमद के साथ किया था। उन दोनों

से एक लड़का समीर है, जो इस समय अपने दादा–दादी के पास रह रहा है। लगभग एक साल पहले सूचना मिली कि उसकी लड़की के साथ दुर्घटना हो गयी है, जल गयी है। उसकी ससुराल वाले उसे बनारस हास्पिटल में भर्ती कराये हैं। जब लोग वहां पहुंचे तो उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी। वह नहीं बता सकती उसकी बेटी कैसे जली। उसके दामाद कहीं किसी मामले में जेल नहीं गये थे, बहुत दिन बाद लौटे थे, इसी बात को लेकर उसकी बेटी नाराज रहती थी। उसकी बेटी ने उसे यह नहीं बताया था कि ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं। घटना के बाद उसके लड़के ने थाने पर सूचना दिया था कि नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ किया था।

21. साक्षी पी० डब्लू०–3 ने जिरह में कहा कि साक्षी ने जो बयान न्यायालय में दिया है, वहीं बयान दरोगा जी को दिया था। अगर दरोगा जी इसके अलावा और कुछ लिख दिये हैं तो इसकी वजह वह नहीं बता सकती। वह यह कत्तई नहीं बतायी थी कि फारुख अहमद, मन्ना उर्फ मोमिना, वकील अहमद और शहादत व सैफ ने उसकी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया था। ऐसी कोई बात लिखी गयी है तो गलत लिखी गयी है। उसकी लड़की की पैदाइश सातवा महीने में हुई थी, जिस कारण उसका पूर्ण रूप से मानसिक विकास नहीं हुआ था। इसकी जानकारी साक्षी ने उसके ससुराल वालों को दिया था, उसकी लड़की नजमा बेगम को राजी–खुशी व सम्मान से फारुख अहमद व उसके ससुराल वाले मायके से लिवा ले गये थे। यह घटना कैसी घटी, वह नहीं बता सकती। उसकी लड़की नाजमा बेगम को उसके ससुराल वालों ने नहीं जलाया था, न उसको ससुराल वाले प्रताड़ित किये थे, जितने दिन तक उसकी लड़की ससुराल में रही, राजी–खुशी से रही।

22. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्ल्यू० –4 डा० रामआशीष राम ने अपने मुख्य बयान में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 06.09.2021 को वह गंगापुर पिंडरा, वाराणसी में अधीक्षक के पद पर तैनात था, उस दिन उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाऊस में लगी थी। एम. पी. एच. शिवपुर, वाराणसी में लगी थी, पोस्टमार्टम की कार्यवाही साढ़े चार बजे शाम को प्रारम्भ की, शव के साथ कुल दस प्रपत्र प्राप्त हुए थे। मृतका का नाम नजमा पत्नी फारुख उम्र 30 साल पता जयरामपुर सर्रोई थाना जलालपुर, जिला भदोही था । मृतका का शव एस. ओ. थाना रोहनिया वाराणसी द्वारा आरक्षी सुमन एवं संदीप कुमार द्वारा भेजा गया था। मृतका दिनांक 05.09.2021 को अनन्त हास्पिटल में जलने के उपचार हेतु भर्ती की गयी थी, जिसकी उपचार उपरांत थर्मल बर्न के कारण मृत्यु हो गयी। मृतका का सामान्य ऊंचाई 164 से. मी., वजन 64 कि० ग्राम, शारीरिक बनावट मध्यम और औसत काठी की थी। मृत्यु के पश्चात आर. एम. पूरे शरीर में मौजूद था, शव कोल्ड चैम्बर में रखा गया है। आंख बन्द थी, मुख बन्द था।

एन्टीमार्टम इन्जरी– डरमल एपिडरमल फ्रेश बर्न सिर के पीछे छोड़कर पूरे शरीर पर

रेडनेस पाया गया। स्वासनली व हायड अस्थि एन. ए. डी. पसलियां दोनों तरफ कन्जस्टेड, परिफुफ्फुस गुहा एन. ए. डी., फेफड़ों की स्थिति दोनों तरफ कंजस्टेड, बायें फेफड़े का वजन 290 ग्राम व दाहिने फेफड़े का वजन 285 ग्राम, परिन्कन कन्जेस्टेड, परिन्कन झिल्ली सामान्य, हृदय की स्थिति वजन 230 ग्राम, बड़ी रक्त वाहिनियां सामान्य, उदरभित्ति की दशा चैम्बर भरा हुआ देखा गया। उदरच्छेद कूप पेरीटोनियम कन्जस्टेड एवं पेरीटोनियल सामान्य, अमाशय, स्टमक 100 एम. एल. वाटर भरा हुआ था। बड़ी आंत में फीकल मैटेरियल और गैस भरी हुई थी, यकृत कंजेस्टेड जिसका वजन 1185 ग्राम, गालब्लेडर फुल, प्लीहा कंजेस्टेड वजन 108 ग्राम, ग्राम वस्तिगुहा सामान्य, किडनी दोनों तरफ कंजेस्टेड जिसका वजन दायां 112 ग्राम, बायां 108 ग्राम। गर्भाशय खाली था। मृत्यु दिनांक 06.09.2021 को अनन्त हास्पिटल रोहनिया, वाराणसी में हुई थी। मृत्यु का कारण इटेन्सिव बर्न इन्जरी के कारण शॉक में जाना था। पत्रावली में संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका नाजमा, उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है।

23. साक्षी पी० डब्लू०–4 ने जिरह के बयान में कहा है कि वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगापुर, पिंडरा में कार्यरत था, उसकी ड्यूटी दिनांक 06.09.2021 को पोस्टमार्टम के लिए लगी थी। अगले दिन सुबह 08.00 बजे तक लगी थी। मृतका को पोस्टमार्टम हाऊस पुलिस लेकर आयी थी, कितने बजे लेकर आयी थी, याद नहीं है। पोस्टमार्टम हाऊस में वह अकेला डाक्टर था, पोस्टमार्टम उसने ही किया था। मृतका का पोस्टमार्टम शाम साढ़े चार बजे शुरू किया था। लगभग 45 मिनट से एक घंटा लगा था। मृतका की लम्बाई 164 से.मी. थी। उसने मृतका की हाईट और वेट को देखा था। मृतका की शरीर सामने से जली हुई थी। मृतका सिर के पीछे नहीं जली थी, आगे का जो भाग जला हुआ था, वह सिकुड़कर खुला हुआ था। वह अन्दाज से नहीं बता सकता कि कितने बजे जली होगी, वह मृतका के पोस्टमार्टम से यह नहीं बता सकता कि उसका इलाज हुआ था या नहीं। मृतका को कहीं कोई चोट नहीं लगी थी, न कोई खरोंच थी। मृतका के पेट में भोजन का पदार्थ था।

24. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 कां० कैलाश सिंह चौहान ने अपने मुख्य बयान में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 07.09.2021 को थाना भदोही के थाना कार्यालय में नियुक्त था। निजामुद्दीन पुत्र मोहर अली उर्फ अब्बास अली की लिखित तहरीर के आधार पर उसने मु० अ० सं० 209/2021 अन्तर्गत धारा–498A, 306 भा० दं० सं० व 3/ 4 डी. पी. एक्ट विरुद्ध वकील अहमद, फारुक अहमद, मन्ना उर्फ मोमिना, शहादत व सैफ कम्प्यूटर पर बोलकर अक्षरशः फीड कराया। तत्पश्चात प्रभारी थाना के हस्ताक्षर करवाये, जो कि शामिल पत्रावली है, एफ० आई० आर० की पुष्टि

करता है, जो कि उसके द्वारा तैयार कराया गया है, इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। उसी दिन उसके द्वारा रोजनामचा सं० 36 दिनांक व समय क्रमशः 07.09.2021, 11.37 बजे जी. डी. कम्प्यूटर पर अंकित कराया, जो कि पत्रावली में शामिल है, पुष्टि करता है, इस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। विवेचक ने साक्षी का बयान लिया था।

25. साक्षी पी० डब्लू०–5 ने जिरह के बयान में कहा है कि भदोही थाने पर वह सन् 2019 नवम्बर से सन् 2023 फरवरी तक था। वादी मुकदमा के साथ और कोई नहीं था, जो वादी मुकदमा तहरीर दिया था, वह थाने पर पहले ही लिख कर लाया था। उसे यह नहीं मालूम था कि तहरीर कौन लिखा था, लेकिन उस पर जो दस्तखत था, वह भी उसके सामने नहीं किया था। वादी मुकदमा, तहरीर उसके समक्ष समय 10.45 पर ले आया था, जब तहरीर उसे दिया तो उसने उसके आधार पर जी. डी. में मुकदमा लिखाया फिर कम्प्यूटर आपरेटर को बोलकर लिखाया था। वादी मुकदमा द्वारा ही तहरीर में कटिंग व ओवर राईटिंग किया गया था। उसे बोलने व टाईप करने में 45 मिनट लगा था। कब तहरीर लिखना प्रारम्भ किये व समाप्त किया, वह समय उसे याद नहीं है। तहरीर होने के बाद प्रभारी थाना का मोहर व दस्तखत कराया था। जी. डी. तैयार करने में आधा घंटा लगा था। जी. डी. पर उसका दस्तखत व टाईपिस्ट का दस्तखत नहीं है। तहरीर के पुष्ठ पर नौ और छः पर ओवर राईटिंग किया गया है, जो उसके हस्तलेख में है।

26. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्ल्यू०–6 उपनिरीक्षक रविकांत मलिक ने अपने मुख्य बयान में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 06.09.2021 को वह थाना रोहनिया जिला वाराणसी में उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। संबंधित अनंत हास्पिटल रोहनिया से मृतका नाजमा के मृत्यु के संबंध में मेमो थाना कार्यालय में प्राप्त हुआ। थाना कार्यालय द्वारा जरिए दूरभाष उसे पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु सूचित किया गया, जिसके क्रम में वह मृतका नाजमा पत्नी फारुख निवासी जयरामपुर पो० सर्रोई, थाना भदोही, जिली भदोही के शव का पंचायतनामा भरने हेतु अनंत अस्पताल में गया। मृतका का शव अस्पताल परिसर में था। शव का निरीक्षण महिला आरक्षी सुमन से कराया था। वहां उपस्थित लोगों/परिजनों में से पंचों की नियुक्ति कर पंचायतनामा अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में अंकित किया। पंचायतनामा मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली में शामिल उसके सामने है, जिस पर उसके व पंचों तथा हमराहियों के हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह पुष्टि करता है। पंचायतनामा पर प्रदर्श क–5 डाला गया। अस्पताल द्वारा प्रेषित मेमो मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। शव के पोस्टमार्टम हेतु भेजने से संबंधित प्रपत्र, पत्र सी. एम. ओ., फोटोनाश, पुलिस फार्म–33 व पुलिस प्रपत्र 13 उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8 व प्रदर्श क–9 डाला गया। शव के पी. एम. हाउस से संबंधित थाना प्रभारी को सूचना प्रेषित

किया गया था, जो मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली में शामिल उसके लेख व हस्ताक्षर में उसके सामने है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

27. साक्षी पी० डब्लू०–6 ने जिरह के बयान में कहा है कि पंचायतनामा के समय एफ. आई. आर. की कापी न मिलने के कारण मु० अ० सं० आदि अंकित नहीं किया था। पंचनामा अनन्त हास्पिटल में हुआ। मृतका के शव का निरीक्षण महिला आरक्षी से कराया था, मृतका के शरीर पर जलने के कारण जलने के अलावा कोई जाहिरा चोट नहीं थी। पंचनामा के समय कोई मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं था। पंचनामा में किसी आरोपी का नाम या विवरण अंकित नहीं है। पंचनामा की कार्यवाही सुबह 08.23 बजे की गयी थी। उसके पहुंचने के पहले वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। शव अस्पताल में ही कोल्ड रूम में रखा था। पंच जिन्हें नियुक्त किया, वे वहां पहले से मौजूद थे।

28. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्ल्यू०–7 प्रमोद सिंह यादव उप निरीक्षक ने अपने मुख्य बयान में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 07.09.2021 को वह थाना भदोही में उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। मु० अ० सं० 209/2021 धारा– 498A, 306 भारतीय दण्ड संहिता व 3/ 4 डी. पी. एक्ट बनाम वकील अहमद आदि पंजीकृत होकर विवेचना उसे प्राप्त हुई। विवेचना के क्रम में पर्चा 1 दिनांक 07.09.2021 को किता किया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान लेखक एफ. आई. आर. कैलाश सिंह चौहान, बयान वादी मुकदमा निजामुद्दीन, बयान पिता मृतका मोहर अली उर्फ अब्बास, मां पीड़िता मोमीन बेगम अंकित किया एवं वादी के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। नक्शा नजरी मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली में शामिल उसके लेख व हस्ताक्षर में है , जिसकी वह पुष्टि करता है। नक्शानजरी पर प्रदर्श क 11 डाला गया। अभियुक्त वकील अहमद, फारुख अहमद, मोमीना को गिरफ्तार कर बयान लिखा गया। पर्चा –2 दिनांकित 20.09.2021 में रिमाण्ड का उल्लेख है। पर्चा –3 दिनांकित 22.09.2021 में मृतका के मृत्यु प्रमाण पत्र अनंत हास्पिटल रोहनिया के डाक्टर सुधीर सिंह से प्राप्त करने व अवलोकन किये जाने का उल्लेख है। पर्चा –4 दिनांक 01.10.2021 में रिमाण्ड का उल्लेख है। पर्चा –5 दिनांकित 14.10.2021, पर्चा –6 दिनांकित 27.10.2021 में रिमाण्ड का उल्लेख है। पर्चा –7 दिनांकित 21.10.2021 में अनंत हास्पिटल रोहनिया द्वारा थाना रोहनिया प्रेषित मेंमों का विवरण , अवलोकन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बयान सूचनाकर्ता, मेमों मुकेश कुमार, बयान डाक्टर राम आशीष राम, गवाह पंचायतनामा मुन्ना अली अंकित किया। पर्चा 8 दिनांक 01.11.2021 में गवाह पंचायतनामा अनवर अली, नन्हे अली, मुबारक अली व कालू के बयान अंकित किया। अभियुक्तगण वकील अहमद, फारुख अहमद, अभियुक्ता मन्ना उर्फ मोमीना के विरूद्ध पर्याप्त

साक्ष्य पाकर आरोप–पत्र संख्या 218/2021 दिनांक 01.11.2021 न्यायालय प्रेषित किया। आरोप–पत्र शामिल पत्रावली उसके हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क 12 डाला गया। पर्चा –9 दिनांकित 09.11.2021 में रिमाण्ड का उल्लेख है। पर्चा 10 दिनांक 22.11.2021 में भी रिमाण्ड का उल्लेख है। पर्चा 11 दिनांक 04.12.2021 में शेष अभियुक्तों की तलाश, पर्चा 12 दिनांकित 18.12.2021, पर्चा 13 दिनांकित 02.01.2022 में भी अभियुक्तों की तलाश का उल्लेख है।

29. साक्षी पी० डब्लू०–7 ने जिरह के बयान में कहा है कि तहरीर दिनांक 07.09.2021 को दी गयी थी। वादी थाने में 11.40 बजे आया था। अभियुक्त के घर पर मृतका के सास–ससुर व पति मिले थे। इन तीनों की गिरफ्तारी मौके से लगभग 1.00 बजे दिन में किया था। नक्शा नजरी में दिखाये गये मकानों का पूरा विवरण अंकित नहीं है, न मकान के अन्दर कमरों की संख्या व स्थिति दिखायी गयी है। उसने मृतका के भर्ती होने वाले अस्पताल के किसी डाक्टर का बयान नहीं लिया था। उसने घटनास्थल से कुछ बरामद नहीं किया था। पंचनामा के समय तक कोई अपराध पंजीकृत नहीं था।

30. इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षियों ने दहेज की मांग को लेकर अभियुक्तगण द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने का मुख्य परीक्षा के बयान में भी साक्ष्य नहीं दिया है, लेकिन तत्कालीन विद्वान लोक/सहायक लोक अभियोजक द्वारा इन तथ्य के साक्षियों, साक्षी पी०डब्लू० 1 निजामुद्दीन, साक्षी पी०डब्लू० 2 मोहर अली व साक्षी पी०डब्लू० 3 श्रीमती मोमीना को न्यायालय से आग्रह कर पक्षद्रोही घोषित करा कर कोई जिरह नहीं की गयी।

31. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0 1 निजामुद्दीन ने अपने मुख्य परीक्षा में अपनी बहन नाजमा बेगम की शादी फारूख अहमद से सन् 2009 में संपन्न होना व बहन के साथ वर्ष 2021 में घटना घटित होना कहते हुए घटना के संबंध में थाना भदोही में प्रस्तुत तहरीर पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में वादी ने बताया है कि उसकी बहन को शादी के एक साल बाद लड़का पैदा हुआ था, जो सात–आठ साल का है और आज भी फारूख अहमद के साथ रहता है। उसकी बहन नाजमा मानसिक रूप से कमजोर थी। अभियुक्तगण वकील अहमद, फारूख अहमद, मन्ना उर्फ मोमीना, शहादत व सैफ कभी भी उसकी बहन से दहेज की मांग नहीं किये, न दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किये और न ही मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाये। लोगों के कहने पर वह बहन को अस्पताल में जला हुआ देखकर दिनांक 07.02.2021 को थाने में सूचना दिया था। घटना कैसे घटी, किसने कारित की इसकी जानकारी नहीं है। साक्षी ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान से इंकार किया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0 2 मोहर अली उर्फ अब्बास अली ने अपने मुख्य परीक्षा में

सशपथ कथन किया है कि नाजमा बेगम उसकी लड़की थी। वर्ष 2009 में फारूख अहमद से उसकी शादी किया था। उसकी लड़की की मृत्यु जलने से हुई थी। सूचना पाकर वह मन्नत हास्पिटल रोहनिया गया था। उसके दामाद व उसकी बेटी से आठ–नौ साल का बेटा है। इस साक्षी ने अपने जिरह के बयान में यह कहा है कि फारूख अहमद व उसके परिजनों से साक्षी व उसके परिवारवालों से अच्छे तालुकात थे। अभियुक्तगण फारूख अहमद, मोमीना, वकील अहमद, सैफ एवं शहादत ने कोई दहेज की मांग नहीं किया था, न उक्त मांग के लिये नाजमा बेगम को प्रताड़ित किया, न जान देने के लिये उकसाया और न ही उसे जलाया। उसकी लड़की मृतका समय से पूर्व पैदा हुई थी, जिसके कारण थोड़ा कम दिमाग की थी। अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 3 मोमीना पत्नी मोहर अली उर्फ अब्बास ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि नाजमा बेगम उसकी लड़की थी, जिसकी शादी उसने वर्ष 2009 में फारूख अहमद के साथ किया था। उन दोनों से एक लड़का समीर है, जो इस समय अपने दादा दादी के पास रह रहा है। लगभग एक साल पहले सूचना मिली कि उसकी लड़की के साथ दुर्घटना हो गयी है, वह जल गयी है, उसकी ससुराल वाले उसे बनारस हास्पिटल में भर्ती करायें हैं। उक्त सूचना पर जब वे लोग पहुंचे तो उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी। वह नहीं बता सकती कि उसकी बेटी कैसे जली। उसकी बेटी ने यह नहीं बताया था कि ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं। साक्षी ने अपने जिरह के बयान में धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान से इंकार किया है और कहा है कि फारूख अहमद, मन्ना उर्फ मोमीना, वकील अहमद और शहादत व सैफ ने उसकी लड़की को प्रताड़ित नहीं किया था। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि उसकी लड़की सातवें महीने में पैदा हुई थी, जिस कारण से उसका पूर्ण रूप से मानसिक विकास नहीं हुआ था। उसकी लड़की को फारुख अहमद व अन्य ससुरालीजन राजी खुशी से मायके से ससुराल लिवा गये थे। उसकी लड़की नाजमा बेगम को उसकी ससुराल वालों ने न प्रताड़ित किया और न ही जलाया। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0 4 डाक्टर रामआशीष राम, जिन्होंने मृतका नाजमा बेगम के शव का अन्त्य परीक्षण कर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क 2 अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि किया है। साक्षी कां० कैलाश सिंह ने वादी मुकदमा निजामुद्दीन द्वारा अपनी बहन नाजमा बेगम की मृत्यु के संबंध में तहरीर प्रस्तुत करने पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क 3 कम्प्यूटर पर बोलकर अक्षरशः फीड/टाइप कराने व उस पर प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर तथा कायमी जी.डी. प्रदर्श क 4 भी तैयार कराने का साक्ष्य देते हुए उस पर बने अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि किया है। साक्षी पी0 डब्लू0 6 उ०नि० रविकांत मलिक ने घटना की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंच कर शव के पंचायतनामा की कार्यवाही अपने लेख व हस्ताक्षर में संपादित करने की साक्ष्य देते हुए पोस्टमार्टम से संबंधित प्रपत्रों पत्र सी. एम. ओ. प्रदर्श क–6, फोटोनाश प्रदर्श क–7,

पुलिस फार्म–33 प्रदर्श क–8 व पुलिस प्रपत्र 13 प्रदर्श क–9 एवं पी.एम. हाउस से संबंधित थाना प्रभारी को प्रेषित पत्र प्रदर्श क 10 अपने लेख व हस्ताक्षर में होना साबित किया। साक्षी/विवेचक पी0 डब्लू0 7 प्रमोद सिंह यादव ने नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श क 11 एवं आरोप–पत्र प्रदर्श क 12 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि किया।

32. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का किये गये विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा निजामुद्दीन पी0 डब्लू0 1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी बहन नाजमा बेगम की शादी अभियुक्त फारूख अहमद से वर्ष 2009 में संपन्न होना तथा फारुख अहमद व नाजमा बेगम से एक लड़का पैदा हुआ जिसकी उम्र सात–आठ साल होना कहा गया है। साक्षी ने अपनी बहन के साथ घटना वर्ष 2021 में घटित होना तथा घटना के संबंध में थाना भदोही में तहरीर दिया जाना कहा है, किन्तु जिरह के बयान में साक्षी ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से इंकार करते हुए स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वकील अहमद, फारूख अहमद, मन्ना उर्फ मोमीना, शहादत व सैफ कभी भी उसकी बहन से दहेज की मांग नहीं किये, न दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किये और न ही मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाये। साक्षी ने यह भी कहा है कि अपनी बहन को अस्पताल में जला हुआ देखकर लोगों के बताने के आधार पर उसने दिनांक 07.02.2021 को थाने पर सूचना दिया था। घटना कैसे घटी, किसने कारित की इस बात की उसे जानकारी नहीं है। उसकी बहन अभियुक्तगण के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। साक्षी पी0 डब्लू0 2 मोहर अली उर्फ अब्बास अली ने अपने मुख्य बयान व जिरह के बयान में अभियोजन कथानक का आंशिक समर्थन करते हुए यह तो स्वीकार किया है कि नाजमा बेगम की शादी वर्ष 2009 में फारुख अहमद के साथ हुई थी और उसके दामाद व बेटी से एक आठ–नौ साल का बेटा है और उसकी लड़की की मृत्यु जलने से हुई थी, किन्तु आगे यह कहा है कि फारूख अहमद व उसके परिजनों से साक्षी व उसके परिवारवालों से अच्छे तालुकात थे। अभियुक्तगण फारूख अहमद, मोमीना, वकील अहमद, सैफ एवं शहादत ने कोई दहेज की मांग नहीं किया था, न उक्त मांग के लिये नाजमा बेगम को प्रताड़ित किया, न जान देने के लिये उकसाया और न ही उसे जलाया। उसकी लड़की मृतका समय से पूर्व पैदा हुई थी, जिसके कारण थोड़ा कम दिमाग की थी। अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 3 मोमीना पत्नी मोहर अली ने अपनी पुत्री नाजमा बेगम की शादी वर्ष 2009 में फारुख अहमद से होना तथा फारुख अहमद व नाजमा बेगम से एक लड़का पैदा होना कहा है किन्तु शेष अभियोजन कथानक का अपने मुख्य बयान व जिरह के बयान में समर्थन नहीं किया है और कहा है कि घटना की सूचना पर जब वे लोग बनारस हास्पिटल पहुंचे तो उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी, वह नहीं बता सकती कि उसकी बेटी कैसे जली। साक्षी ने स्पष्ट रूप से जिरह के बयान में कहा है कि उसकी लडकी जितने दिन अपने ससुराल में रही राजी खुशी से रही। उसके ससुराल वाले न तो प्रताड़ित किये और न

ही उसको जलाये। उसकी लड़की की पैदाइश सातवें महीने में हुई थी, जिससे उसका पूर्ण रूप से मानसिक विकास नहीं हुआ था। इस प्रकार तथ्य के साक्षीगण पी0 डब्लू0 1 निजामुद्दीन, पी0 डब्लू0 2 मोहर अली उर्फ अब्बास अली एवं पी0 डब्लू0 3 मोमीना द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। मृतका की मृत्यु ससुराल में व अस्वाभाविक मृत्यु होने मात्र से जब तक कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने व अतिरिक्त दहेज की मांग किये जाने का साक्ष्य न हो बल्कि साक्ष्य से इसका खण्डन हो तो आरोपित अपराध साबित नहीं होता।

33. इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्र आरोप–पत्र संख्या 218ए/ 2021 की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है, किन्तु मात्र उपरोक्त अभियोजन प्रपत्र की औपचारिक प्रमाणिकता स्वीकार कर लिये जाने के आधार पर अभियुक्तगण के संबंध में किसी दोषिता का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उपरोक्तानुसार तथ्य के साक्षीगण पी0 डब्लू0 1 निजामुद्दीन, पी0 डब्लू0 2 मोहर अली उर्फ अब्बास अली एवं पी0 डब्लू0 3 मोमीना द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और अभियुक्तगण द्वारा मृतका नाजमा बेगम को अवैध रूप से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित किये जाने के कथन से इंकार किया गया है जो अभियुक्तगण के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में किये गए कथन का समर्थन करता है।

34. इस प्रकार अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण वकील अहमद, फारूख अहमद, मन्ना उर्फ मोमीना, शहादत व सैफ के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 306 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्तगण वकील अहमद, फारूख अहमद, मन्ना उर्फ मोमीना, शहादत व सैफ अन्तर्गत धारा 498ए, 306 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

35. उपरोक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि तथ्य के साक्षी वादी मुकदमा निजामुद्दीन जिनके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट लिखायी गयी थी, उन्होंने अपने मुख्य परीक्षा व जिरह के बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, जिससे यह दर्शित होता है कि उसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य दिया गया है, जिसके लिये उसके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 344/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता –2023 की धारा– 383 के अधीन कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

36. अभियुक्तगण वकील अहमद, फारूख अहमद, मन्ना उर्फ मोमीना, शहादत व सैफ द्वारा पूर्व में ही अन्तर्गत धारा 437क दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा– 351 भारतीय

नागरिक सुरक्षा संहिता का अनुपालन किया जा चुका है।

आदेश

37. अभियुक्तगण वकील अहमद, फारूख अहमद, मन्ना उर्फ मोमीना, शहादत व सैफ को धारा- 498ए, 306 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, आज न्यायालय में उपस्थित हैं, उन्हे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

38. वादी मुकदमा निजामुद्दीन साक्षी पी०डब्लू० 1 के विरूद्ध प्रकीर्ण दाण्डिक वाद अन्तर्गत धारा-344 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा-383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन दर्ज हो तथा उपरोक्त साक्षी के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी हो। उक्त प्रकीर्णवाद की पत्रावली दिनांक 06.08.2026 को सुनवाई हेतु पेश हो।

39. निर्णय एवं आदेश की प्रति सत्र परीक्षण संख्या 154/2022 राज्य बनाम शहादत अली आदि की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक-17.07.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
J.O.Code No.-UP 5725

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-17.07.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
J.O.Code No.-UP 5725

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.07.17 15:22:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court